



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11032021-225792
CG-DL-E-11032021-225792

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1027]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 10, 2021/फाल्गुन 19, 1942

No. 1027]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 10, 2021/PHALGUNA 19, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2021

का.आ. 1115(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट Strengthening और अपग्रेडेशन ऑफ़ एक्सिस्टिंग to इंटरमीडिएट लेन (NH-701A) के कि.मी 0.000 से 42.820 जम्मू और कश्मीर राज्य के तक के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / 2 लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH701A तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	डिप्टी कमिश्नर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH701A के कि.मी. 0 से 42.82 तक	जम्मू और कश्मीर	बारामूला	बारामूला	1 काटियान वाली 2 गोहन लडी जंगल 3 उस्कुरा
					क्रीरी	1 कालांत्रा पायीन 2 कालांत्रा बाला 3 औथूरा पाई
					तेंगमर्ग	1 हाजीबल 2 फ़िरोज़ पोरा (गुलमर्ग)
					वागुरा	1 चंदूसा 2 कचु मुकाम

[फा. सं. NHIDCL/PMU-SMG/BAR-GUL/LA/2020-21]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 2021

S.O. 1115(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from 0.000 to 42.820 of existing carriageway to intermeditate lane (NH701A) in the State of JAMMU & KASHMIR for building (widening /Two-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of JAMMU & KASHMIR.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH701A in the State of JAMMU & KASHMIR.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Deputy Commissioner	0 KM To 42.82 KM	JAMMU & KASHMIR	BARAMULLA	Baramulla	1 Katian Wali 2 Gohan Lari Jungle 3 Ushkara
					Kreeri	1 Kalantra Pain 2 Kalantra Bala 3 AUTHOORA PAYEEN
					Tangmarg	1 Hajibal 2 Feroz Pora (Gulmarg)
					Wagoora	1 Chandoosa 2 Kachu Muqam

[F. No. NHIDCL/PMU-SMG/BAR-GUL/LA/2020-21]

RAJESH GUPTA, Director